न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–112/2024

चन्द्रमोहन उपाध्याय..वादी

बनाम

चन्द्रभुषण उपाध्याय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
18.03.2025	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.02.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पुष्टि के साथ साथ अनुतोषों हेतु वाद लाये है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण मिट्टी गिराकर अतिक्रमणी ढंग से वादी को बेदखल करना चाहते है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। उपरोक्त स्थिति में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तलब कर लिया जाय ताकि वादग्रस्त भूमि की स्थिति अभिलेख पर मौजूद हो सके। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का आवेदन स्वीकार करते हुये स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करते हुये वादग्रस्त भूमि का प्रतिवेदन की मांग आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर करने कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगा। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रारंभिक अवस्था में है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का कार्य वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करना होता है। अतः ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 24.02.2025 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–112/2024

चन्द्रमोहन उपाध्याय..वादी

बनाम

चन्द्रभुषण उपाध्याय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 18.03.2025	विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में आवेदन में वर्णित तथ्यों पर फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– रूपये वादी के द्वारा वहन किया जायेगा। वाद दिनांक 16.04.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	